प्रेस नोट दिनांक 21.11.2025

प्रेस नोट दिनांक-21.11.2025

थाना कोतवाली नगर , जनपद प्रतापगढ़ ।

थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा आत्महत्या के लिये अकसाने के प्रकरण में 01 वांछित अभियुक्त को किया गया गिरफ्तार-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी की तहरीर के आधार पर उसकी पत्नी जो मेडिकल कॉलेज प्रतापगढ़ में OT टेक्नीशियन के पद पर कार्यरत थी। दिनांक 19.11.2025 को न्यू कॉलोनी, बाबागंज स्थित अपने किराए के निवास पर आत्महत्या कर ली। वादी की पत्नी का पुनीत पाण्डेय (निवासी: पूरे नरसिंहभान, थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़) द्वारा किए गए शारीरिक तथा मानसिक शोषण से तंग आकर आत्महत्या कर ली । प्रकरण में वादी की तहरीर के आधार पर थाना कोतवाली नगर में मु0अ0सं0 592/25 धारा 108 बीएनएस बनाम 01 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था ।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व सहायक पुलिस अधीक्षक/क्षेत्राधिकारी नगर श्री प्रशान्त राज के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कोतवाली नगर श्री सुभाष कुमार यादव के नेतृत्व में उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव मय हमराह का० नागेन्द्र खरवार द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त की दबिश के दौरान मु0अ0सं0 592/25 धारा 108 बीएनएस थाना कोतवाली नगर, प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त पुनीत पाण्डेय पुत्र स्व० शरद पाण्डेय नि० पूरेनरसिंह भान थाना को0 नगर प्रतापगढ़ को थाना कोतवाली नगर क्षेत्रान्तर्गत तहसील गेट के पास से गिरफ्तार किया गया है ।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

1. अभियुक्त पुनीत पाण्डेय पुत्र स्व० शरद पाण्डेय नि० पूरेनरसिंह भान थाना को0 नगर प्रतापगढ़ ।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अंकित श्रीवास्तव मय हमराह का० नागेन्द्र खरवार थाना कोतवाली नगर जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक-21.11.2025

थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना दिलीपपुर पुलिस द्वारा अपहरण के अभियोग से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त जितेन्द्र कुमार को किया गया गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी दिलीपपुर के नेतृत्व में उ0नि0 दुर्गेश कुमार मय हमराह हे का0 सुभाष विश्वकर्मा व का0 लक्ष्मण सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त के दौरान, मुखबिर की सूचना पर अन्तर्गत धारा 137 (2)/87/61 (2) बीएनएस थाना दिलीपपुर जनपद प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त जितेन्द्र कुमार पुत्र रामकुमार यादव निवासी ग्राम रामपुर कांपा थाना कन्धई प्रतापगढ़उम्र करीब 35 वर्ष को थाना दिलीपपुर क्षेत्रान्तर्गत ग्राम जगदीशगढ चौराहा से आगे दीवानगंज की ओर से गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. जितेन्द्र कुमार पुत्र रामकुमार यादव निवासी ग्राम रामपुर कांपा थाना कन्धई प्रतापगढ़उम्र करीब 35 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 दुर्गेश कुमार मय हमराह हे का0 सुभाष विश्वकर्मा व का0 लक्ष्मण सिंह थाना दिलीपपुर, जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक-21.11.2025

थाना जेठवारा, जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना जेठवारा पुलिस द्वारा 01 अभियुक्त हरीपाल को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत दमगडा मोड सरायनाहर राय के पास से गिरफ्तार किया गया-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 13.09.2025 को ग्राम जूडापुर धनसारी में रास्ते के विवाद को लेकर हरीपाल पटेल सहित कई आरोपियों ने लाठी-डंडा व औजारों से वादी के भतीजे पर जानलेवा हमला किया तथा बीच-बचाव करने पहुंचे परिजनों को भी घर में घुसकर गंभीर रूप से घायल कर दिया। हमले में वादी के भतीजे अचेत हो

गया था। घटना के उपरांत आरोपी जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गए। इस संबंध में थाना जेठवारा में मु0अ0सं0 207/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/352/351(3)/115(2), 333 बीएनएस बनाम 07 नामजद व 5-6 अन्य लोग नाम पता अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पश्चिमी श्री बृजनन्दन राय व क्षेत्राधिकारी सदर श्रीमती करिश्मा गुप्ता के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी जेठवारा श्री विजकान्त सत्यार्थी के नेतृत्व में उ0नि0 आनन्द कुमार राय मय हमराह हे0का0 राज सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त की दबिश के दौरान मु0अ0सं0 207/2025 धारा 191(2)/191(3)/190/109(1)/352/351(3)/115(2), 333 बीएनएस थाना जेठवारा, प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त हरीपाल पुत्र द्वारिका प्रसाद उम्र करीब 54 वर्ष नि० ग्राम जुडापुर धनसारी थाना जेठवारा प्रतापगढ़ को थाना जेठवारा क्षेत्रान्तर्गत दमगडा मोड सरायनाहर राय के पास से गिरफ्तार किया गया है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्त द्वारा बताया गया कि हम लोगों के खिलाफ थाने पर मुकदमा लिखा गया है जबकि हमने कोई अपराध नही किया है। थाने की पुलिस कई बार हम लोगो के घर पर जाकर पूँछताछ की है जब से हमें मुकदमे के बारे मे जानकारी हुआ है तब से हम लोग लुक छिपकर घर पर आते जाते हैं और पुलिस के डर से इधर उधर छिपकर रहते हैं। आज मै कुछ काम से बाहर जा रहा था कि आप लोगो ने हमें पकड़ लिया मैने कोई गलत काम नही किया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. हरीपाल पुत्र द्वारिका प्रसाद उम्र करीब 54 वर्ष नि० ग्राम जुडापुर धनसारी थाना जेठवारा प्रतापगढ़।

पुलिस टीम-

उ0नि0 आनन्द कुमार राय मय हमराह हे0का0 राज सिंह थाना जेठवारा जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक-21.11.2025

थाना फतनपुर, जनपद प्रतापगढ़।

थाना फतनपुर पुलिस द्वारा ग्राम नरायनपुर कला में निर्माण को लेकर हुए जानलेवा हमले के प्रकरण में 02 वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर के निर्देशन में थाना फतनपुर पुलिस द्वारा कनेवरा जाने वाली मेन रोड के पास से निर्माण विवाद में संलिप्त 02 वांछित अभियुक्त जयशंकर सोनी व प्रदीप कुमार सोनी गिरफ्तार

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 20.11.2025 को ग्राम नरायनपुर कला स्थित सड़क सीमा के भीतर किए जा रहे अवैध निर्माण की सूचना देने पर हिस्ट्रीशीटर श्याम सुंदर सोनी एवं उसके सहयोगियों जयशंकर, विजय शंकर, प्रदीप कुमार तथा दो अज्ञात महिलाओं ने वादी पक्ष पर लाठी-डंडा व सरिया से जानलेवा हमला किया, जिसमें वादी के पिता गंभीर रूप से घायल हो गए तथा पुत्री एवं पुत्र को भी मारपीट कर घायल किया गया। अवैध निर्माण एवं आपराधिक गतिविधि को छिपाने के उद्देश्य से जान से मारने की धमकी देते हुए सभी अभियुक्त मौके से फरार हो गए। घटना का मुख्य साजिशकर्ता गांव का निवासी अजय सिंह पुत्र गुलाब सिंह बताया गया है। इस संबंध में थाना फतनपुर में मु0अ0सं0- 276/2025 धारा- 191(1)/191(2)/109(1)/115(2)/352/351(3)174/125 B.N.S. बनाम 05 नामजद व 02 महिला नाम पता अज्ञात का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी फतनपुर श्री मनीष कुमार त्रिपाठी के नेतृत्व में उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह का दीपक राजभर, का0 सुनील यादव द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त की दबिश के दौरान मु0अ0सं0- 276/2025 धारा- 191(1)/191(2)/109(1)/115(2)/352/351(3)174/125 B.N.S. थाना फतनपुर, प्रतापगढ़ से संबंधित 02 वांछित अभियुक्तों, 1.जयशंकर सोनी पुत्र स्व मिठाईलाल सोनी उम्र करीब 42 वर्ष, 2. प्रदीप कुमार सोनी पुत्र स्व मिठाईलाल सोनी उम्र करीब 58 वर्ष निवासीगण ग्राम कनेवरा थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ को थाना फतनपुर क्षेत्रान्तर्गत कनेवरा जाने वाली मेने रोड के पास से गिरफ्तार किया गया है।

पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ पर बताया कि कल दिनांक 20.11.2025 को मै और मेरे सभी भाई ग्राम नरायनपुर कला मे मेन रोड के बगल ही अपनी जमीन मे निर्माण कार्य कर रहे थे कि उस निर्माण को कफी दिनो से उसी गांव का वादी व उसके परिवार को लोग रोकने के लिए आ जाते थे। रोज नया नया प्रोपोगेन्डा तैयार

करके आते थे। कल PWD की जमीन बताकर वादी के पिता और उसकी पत्नी और उसकी लडकी व लडका रोकने के लिए आये थे उसी मे वाद विवाद हो गया था। बात बढने पर हम लोग अजीज आकर सभी को मार पीट दिये थे। वादी के पिता के सिर मे गम्भीर चोट लग गई जानकारी हुई कि वह एसआरएन प्रयागराज में भर्ती है। हम लोगो के खिलाफ थाने पर मुकदमा लिख गया है तो हम सभी घर से भागने के लिए रोड की तरफ आ रहे थे कि आप लोगो ने पकड लिया, अपनी गलती की बार बार माफी मांग रहे है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

1. जयशंकर सोनी पुत्र स्व मिठाईलाल सोनी उम्र करीब 42 वर्ष,

2. प्रदीप कुमार सोनी पुत्र स्व मिठाईलाल सोनी उम्र करीब 58 वर्ष निवासीगण ग्राम कनेवरा थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 राहुल कुमार मय हमराह का दीपक राजभर, का0 सुनील यादव थाना फतनपुर जनपद प्रतापगढ़ ।

प्रेस नोट दिनांक 21.11.2025

थाना कंधई, जनपद प्रतापगढ़।

अभियुक्तों द्वारा धनराशि हड़पने हेतु रची गई लूट की साजिश का खुलासा; धोखाधड़ी एवं गबन में संलिप्त 02 अभियुक्त थाना कंधई पुलिस द्वारा गिरफ्तार, नगद बरामद-

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में गैस सिलेण्डर बिक्री की राशि हड़पने वाले 02 अभियुक्त शिवम सरोज, राघवेन्द्र उर्फ भोनू गिरफ्तार, ₹28,950/- नगद धनराशि बरामद-

अभियुक्तों द्वारा अपराध स्वीकार; बिक्री की नगद राशि छिपाने तथा वाहन का शीशा तोड़कर भ्रामक स्थिति उत्पन्न करने की बात कबूल-

गैस सिलेण्डर बिक्री की राशि हड़पने एवं वाहन का शीशा तोड़कर धोखाधड़ी करने वाले 02 नामजद के विरुद्ध अभियोग पंजीकृत किया गया था-

घटना का संक्षिप्त विवरण-

दिनांक 19.11.2025 को वादी निवासी जोगीपुर, थाना कंधई प्रतापगढ द्वारा थाना कंधई पर सूचना दी थी कि इसकी की शांति भारत गैस सर्विस एजेंसी से मैजिक डाला पर लोड किए गए 40 सिलेण्डरों में से

35 घरेलू व 01 कमर्शियल सिलेण्डर की बिक्री से प्राप्त कुल ₹33,150/- राशि चालक राघवेंद्र एवं डिलीवरी कैरियर शिवम सरोज द्वारा हड़प ली गई। मांगने पर दोनों ने पैसा न देकर धोखाधड़ी एवं गबन किया तथा वाहन का सामने का शीशा भी तोड़ दिया। इस संबंध में थाना स्थानीय पर मु0अ0स0 277/25 धारा 316(3)/318(4)/324(2) बीएनएस बनाम 02 नामजद का अभियोग पंजीकृत किया गया था।

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ श्री दीपक भूकर द्वारा अपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में अपर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी पट्टी श्री मनोज कुमार सिंह रघुवंशी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी कंधई श्री अनिल कुमार के नेतृत्व में उ0नि0 अमित सिंह मय हमराह का0 रामजी कुशवाहा, का0 कपिल, का0 अनूप सिंह द्वारा देखभाल क्षेत्र संदिग्ध व्यक्तियों, वाहनों की चेकिंग के दौरान, मुखबिर की सूचना पर मु0अ0स0 277/25 धारा 316(3)/318(4)/324(2) बीएनएस से संबंधित 02 अभियुक्तों, 01. शिवम सरोज पुत्र अनिल कुमार सरोज नि०ग्रा0 जोगीपुर थाना कंधई जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 22 वर्ष, 02. राघवेन्द्र उर्फ भोनू पुत्र नन्हेलाल निग्रा जैतीपुर थाना कंधई जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 29 वर्ष को धोखाधड़ी से संबंधित 28950/- रुपया नगद के साथ थाना कंधई क्षेत्रान्तर्गत रईया अमसौना मोड पुलिया के पास से गिरफ्तार किया गया।

अभियुक्तों के कब्जे से धोखाधड़ी से संबंधित ₹28,950/- नगद बरामद किए गए, जिस पर विधिक कार्रवाई करते हुए प्रकरण में धारा 317(2) भारतीय न्याय संहिता (BNS) की वृद्धि की गई।

अभियुक्तों से पूछताछ का विवरण-

अभियुक्तों ने पूछताछ में बताया कि हम लोगो से गलती हो गयी, हम दोनो लोग भारत गैस सर्विस जोगीपुर के मैजिक डाला में रहकर सिलेण्डर का होम डिलिवरी का काम करते हैं। अभियुक्त राघवेन्द्र उर्फ भोनू द्वारा बताया गया कि मैं मैजिक डाला पर ड्राइवर का काम करता हूं तथा शिवम सरोज कैशियर का काम करता है। दिनांक 19.10.2025 को शाम में हम दोनो लोग एजेन्सी से करीब 39 सिलेण्डर व 01 कामर्सियल सिलेण्डर मैजिक डाला पर लोड करके डिलिवरी के लिये क्षेत्र में निकले थे। जिसमें से 35 सिलेण्डर व 01 कामर्सियल सिलेण्डर की बिक्री करके कुल नकद 28950 रु0 व मेरे अकाउण्ट में बिक्री का आनलाइन 2590 रु0 तथा शिवम के अकाउण्ट में बिक्री का आनलाइन पैसा 1610 रु0 लेकर रईया अमसौना सडक से एजेन्सी जाते समय हम लोगो की नियत खराब हो गयी और हम लोगो ने आपस में प्लान बनाकर धोखाधडी करने की नियत बिक्री का पैसा नही देने का प्लान बनायें। फिर हम दोनो लोगो ने बिक्री का नगद पैसा 28950/-रु0 को एक रुमाल में लपेटकर इसी सडक पर सामने गजहर के पास ग्राम रैया सडक के किनारे छुपा दिये हैं और शेष पैसा हम दोनो के अकाउण्ट में है। मालिक को सक न हो

इस लिये धोखाधडी कर मैजिक डाला के आगे का शीशा यही अमसौना की तरफ आगे डण्डा से मारकर तोड दिये थे और एजेन्सी में ले जाकर मैजिक डाला खडी कर दिये थे। दूसरे व्यक्ति शिवम सरोज से पूछताछ करने पर बता रहा है कि मेरा साथी राघवेन्द्र उर्फ भोनू ने सारी बाते आप लोगो को बता दिया वही सही बात है हमलोगो से लालच में आकर गलती हो गयी है।

गिरफ्तार अभियुक्तों का विवरण-

01. शिवम सरोज पुत्र अनिल कुमार सरोज नि०ग्रा0 जोगीपुर थाना कंधई जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 22 वर्ष।

02. राघवेन्द्र उर्फ भोनू पुत्र नन्हेलाल निग्रा जैतीपुर थाना कंधई जनपद प्रतापगढ उम्र करीब 29 वर्ष।

बरामदगी-

धोखाधड़ी से संबंधित 28950 रुपया नगद बरामद।

पुलिस टीम का विवरण-

उ0नि0 अमित सिंह मय हमराह का0 रामजी कुशवाहा, का0 कपिल, का0 अनूप सिंह थाना कंधई जनपद प्रतापगढ़।

प्रेस नोट दिनांक-21.11.2025

थाना मान्धाता , जनपद प्रतापगढ़।

पुलिस अधीक्षक प्रतापगढ़ के निर्देशन में थाना मान्धाता पुलिस द्वारा दुष्कर्म के अभियोग से संबंधित वांछित 01 अभियुक्त सुरेश सरोज गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ श्री दीपक भूकर द्वारा आपराधिक क्रिया कलाप में संलिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाए जा रहे अभियान के क्रम में अ पर पुलिस अधीक्षक पूर्वी श्री शैलेन्द्र लाल व क्षेत्राधिकारी रानीगंज श्री विनय प्रभाकर साहनी के कुशल पर्वेक्षण में थाना प्रभारी मान्धाता श्री अरविन्द कुमार सिंह के नेतृत्व में निरीक्षक श्री सुधीर कुमार, का0 निशांत यादव, म0का0 रचना कुमारी चौहान द्वारा देखभाल क्षेत्र/ तलाश वारण्टी, वाछित अभियुक्त की दबिश के दौरान अन्तर्गत धारा 64(1)/123//351 (3)/333 बीएनएस थाना मान्धाता, प्रतापगढ़ से संबंधित 01 वांछित अभियुक्त सुरेश सरोज पुत्र स्व० राम मूरत सरोज उर्फ़ कल्लू सरोज नि० ग्राम हैन्सी परजी थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ उम्र 26 वर्ष को गिरफ्तार किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का विवरण-

01. सुरेश सरोज पुत्र स्व० राम मूरत सरोज उर्फ़ कल्लू सरोज नि० ग्राम हैन्सी परजी थाना मान्धाता जनपद प्रतापगढ़ उम्र 26 वर्ष।

पुलिस टीम का विवरण-

निरीक्षक श्री सुधीर कुमार, का0 निशांत यादव, म0का0 रचना कुमारी चौहान थाना मान्धाता, जनपद प्रतापगढ़।